संख्या-36/2018/क0नि0-4-611/11-2018-300(8)/16

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर ,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः 23 अगस्त, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में वैकल्पिक लीज लाइन कनेक्टिविटी हेतु यू0पी0डेस्को को वित्तीय वर्ष 2018-19 में भुगतान किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-आई0टी0-वैकल्पिक कनेक्टिीविटी-2018-19/ 190/वाणिज्य कर, दिनाँक 18.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में सर्वश्री उत्तर प्रदेश डेवलेपमेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा प्राप्त गत वर्ष के द्वितीय त्रैमास (माह जुलाई, 2017 से सितम्बर, 2017 तक) के 03 लोकेशन्स, तृतीय त्रैमास (माह अक्तूबर, 2017 से दिसम्बर, 2017 तक) के 11 लोकेशन्स एवं चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2018 से मार्च, 2018 तक) के 102 लोकेशन्स के 13 बिल रु0-1,26,88,647.00 (रुपया एक करोड़ छब्बीस लाख अठासी हज़ार छः सौ सैंतालीस मात्र) एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम त्रैमास, द्वितीय, तृतीय त्रैमास के भुगतान किए जाने हेतु लगभग अनुमानित धनराशि रु0-3.85 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रु0-05.12 करोड़ (रुपया पाँच करोड़ बारह लाख मात्र) का भुगतान सर्वश्री उत्तर प्रदेश डेवलेपमेन्ट सिस्टम्स कार्पोरेशन लि0, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में मद सं0- '13-टेलीफोन पर व्यय' मद में प्राविधानित धनराशि रु0-10.00 करोड़ (रुपया दस करोड़ मात्र) में से त्रैमासिक बिल के आधार पर किए जाने की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निर्गत किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल उ0प्र0 प्रदान करते हैं।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-09-जी0एस0टी0एन0 से सम्बन्धित व्यय की मानक मद सं0-13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-36/2018/क0नि0-4-611(i)/11-2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0इलाहाबाद।
2. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in